



दिनांक 17.03.2026 के बिन्दु 30 को उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2016 की धारा 4(2)(ब) के अनुरूप नहीं पाया गया है।


4. यह कि इस सम्बन्ध में प्रवर्तक द्वारा जिला पंचायत, बाराबंकी के समक्ष विधिवत आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

पत्र संख्या – SCL-EV/ACO-BBK/2026/21

दिनांक – 18.03.2026

उक्त पत्र के माध्यम से जिला पंचायत, बाराबंकी से अनुरोध किया गया है कि अनुज्ञा-पत्र से बिन्दु 30 को हटाते हुए संशोधित अनुज्ञा-पत्र निर्गत किया जाये, ताकि परियोजना रेरा अधिनियम के अनुरूप हो सके।

5. यह कि उक्त आवेदन वर्तमान में जिला पंचायत, बाराबंकी के समक्ष विचाराधीन/प्रक्रियाधीन है।  
6. यह कि यह शपथपूर्वक निवेदन किया जाता है कि जैसे ही संशोधित अनुज्ञा-पत्र (बिन्दु 30 हटाकर) जिला पंचायत द्वारा निर्गत किया जाएगा, उसे तत्काल प्रभाव से माननीय उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जायेगा।  
7. यह कि उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, माननीय प्राधिकरण से विनम्र निवेदन है कि परियोजना “SHALIMAR EVARA HEIGHTS” का पंजीकरण प्रदान करने की कृपा करें, इस शर्त के अधीन कि संशोधित अनुज्ञा-पत्र उपलब्ध होते ही प्रस्तुत कर दिया जायेगा।  
8. यह कि यह शपथ पत्र माननीय प्राधिकरण के समक्ष वास्तविक तथ्यों को अभिलेख पर लाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।  
9. यह कि उपरोक्त कथन मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं तथा इसमें कोई तथ्य असत्य या छुपाया नहीं गया है।



For Shalimar Corp Ltd.

शपथकर्ता  
Authorised Signatory

सत्यापन

मैं, उपरोक्त शपथकर्ता, यह सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की समस्त सामग्री मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा इसमें कोई तथ्य असत्य नहीं है।

मेरे द्वारा लखनऊ में दिनांक 19.03.2026 को सत्यापित।

Sworn and Verified Before me

R.M. YADAV  
Advocate & Notary Govt. of India  
Lucknow U.P. India  
Regd. No. 54891/2025

For Shalimar Corp Ltd.

शपथकर्ता  
Authorised Signatory

I Identify of the deponents/Person  
who has signed/L.T./R.T.I. before me.

Ref. No.- SCL-Ev/ACO-BBK/2026/21

Date: 18.03.2026

Shalimar Corp Limited

11th Flr., Titanium, Shalimar Corporate Park,  
Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010 INDIA  
Tel. : 0522 - 4030444  
Fax : 0522 - 4030413  
CIN : U70100DL1922PLC390006

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत, बाराबंकी।

विषय:-ग्राम केवाड़ी परगना देवा तहसील नवावगंज जनपद बाराबंकी में इवारा हाईटस ग्रुप हाउसिंग के मैप सम्बन्धी अनुज्ञा-पत्र दिनांक 10.02.2026 के प्रस्तर-30 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय का अवलोकन करना चाहे।

इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के पत्रांक 2558/उ.प्र.रेरा/तक. सेल/2025-26 दिनांक 17.03.2026 का अवलोकन करना चाहें, जिसमें 03 बिन्दुओं/कमियों का निराकरण करने का निर्देश उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (Rera) द्वारा दिया गया है।

अनुज्ञा-पत्र दिनांक 17.03.2026 के बिन्दु 30 को उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण एक्ट-2016 के सेक्शन-4(2)(c) के अनुरूप नहीं पाया गया है, ऐसी स्थिति में आज दिनांक 18.03.2026 को सम्पन्न रेरा की प्री-बोर्ड बैठक में इस प्रस्तर को अनुज्ञा-पत्र से हटाने और संशोधित अनुज्ञा-पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा की स्थिति में प्रोजेक्ट उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में रजिस्टर्ड करने में कठिनाई है। बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि इस प्रकार के कई प्रकरण उनके सामने आये हैं और उन्होंने सभी प्रकरण में यही निर्देश दिये हैं।

शालीमार के इस प्रकरण में आपको अवगत कराना है कि गाटा संख्या-556, 563, 564 ग्राम समाज से सम्बन्धित थे, जिनका विधिवत विनियम मण्डलायुक्त स्तर से किया जा चुका है और इसकी दाखिल खारिज भी हो चुकी है, अन्य किसी प्रकार की भूमि किसी सरकारी विभाग की हमारी इस योजना में नहीं है।

उक्त स्थिति में आपसे अनुरोध है कि उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रस्तर-30 को हटाते हुए संशोधित अनुज्ञा-पत्र जारी करने की कृपा करें, ताकि आगामी रेरा चैयरमैन बोर्ड में इस योजना की स्वीकृति प्राप्त हो सकें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय

(शिव जनम चौधरी)  
अधिकृत हस्ताक्षरी  
शालीमार कार्प लि0

कार्यालय  
जिला पंचायत, बाराबंकी  
पत्र भा.स. होने का  
दिनांक 18/03/26  
प्राप्त करने वाले अधिकारी  
के हस्ताक्षर

